भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 671 का उत्तर

गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों की स्थापना

671. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीसीटी नीति के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक स्वीकृत और स्थापित गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जीसीटी नीति के अंतर्गत रेलवे कार्गो टर्मिनलों के विकास हेतु जुटाए गए निजी निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने यह पाया है कि जीसीटी नीति के कार्यान्वयन के बाद रेलवे माल ढुलाई राजस्व में कोई वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): 2021 में गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी शुरू होने के बाद, भारतीय रेल ने 306 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। इनमें से 118 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल पहले ही चालू हो चुके हैं। गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी शुरू होने के बाद से इसके लिए लगभग 8,600 करोड़ रुपये का निजी निवेश जुटाया गया है।

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल पर संचालित यातायात से प्राप्त माल राजस्व का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है -

वित्त वर्ष	माल ढुलाई राजस्व
2022-23	2,901.86 करोड़
2023-24	7,712.36 करोड़
2024-25	12,608.05 करोड़

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल से रेलवे में ज़्यादा माल प्राप्त होता है। इससे संभार लागत कम होने से अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है। इसके अलावा, रेलवे द्वारा ज़्यादा माल का मतलब है कम उत्सर्जन।

*****